

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82
दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किया जाने पर संबन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं को भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं जन्तुओं के विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
9. सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि आशय मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उसका पतन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभा.
मुरादाबाद

14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बोंच () के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्बों को ऊँचा करें उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान भी अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिसपर संबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन अनिवार्य है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय स्वयं करायेगा।
17. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों को पूरा पालन कर लिया जाय।

मैं सतीश चन्द्र वर्मा, सहायक महाप्रबन्धक, टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, मुरादाबाद यह प्रमाणित करता हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

ह
 (सतीश चन्द्र वर्मा)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुरादाबाद


 (सतीश चन्द्र वर्मा)
 सहायक महाप्रबन्धक,
 टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०,
 मुरादाबाद।

5/1/1960-26

VAN VEHAG

MISCELLANEOUS

February 10, 1960

No. 1116/XIV-331-50- Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section 23 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) will occupy such length of time as in the meanwhile to endanger the rights of the State Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the land specified in the schedule hereunder.

SCHEDULE

District	Sl. No.	Name of road	Mileage to be declared as reserved or Protected Forest.		M. 16. M. 18. ft.		Description of boundary
			From	To	M. 16.	M. 18. ft.	

18. Moradabad	1. Moradabad-Chandausi Road	0	6	0	36	0	0	The boundary of the land has been demarcated by the stone pillars.
19. Moradabad	2. Belauli-Sidhera Road	0	0	0	1	2	0	0
20. Moradabad	3. Moradabad-Sambhal Road	3	0	0	21	4	0	0
21. Moradabad	4. Sambhal-Hasanpur Road	0	0	0	21	4	0	0
22. Moradabad	5. Sambhal-Balgol Road	3	0	0	13	5	0	0
23. Moradabad	6. Gaganpura-Dhamwarpura Road	7	0	0	8	2	3	0
24. Moradabad	7. Gaganpura-Hasanpur Road	0	0	0	8	0	0	0
25. Moradabad	8. Amrauli-Kantha Road	0	0	0	3	0	0	0
26. Moradabad	9. Amrauli-Dhamwarpura Road	0	0	0	3	0	0	0
27. Moradabad	10. Amrauli-Kantha Road	0	3	2	60	3	3	260
28. Moradabad	11. Chandpur-Dhamwarpura Road	0	0	0	13	3	0	0
29. Moradabad	12. M. A. B. (Moradabad, Ambala, Baljor) Road	13	6	550	34	0	0	0
30. Moradabad	13. Moradabad-Kantha Road	1	6	0	18	0	0	0
31. Moradabad	14. Moradabad-Kantha Road	5	0	10	35	0	0	0
32. Moradabad	15. Surajnagar-Kantha Road	10	0	0	19	0	0	0
33. Moradabad	16. Debal-Barala-Chandausi Road	19	0	0	35	0	0	0

प्रमाणित निदेशक
महाराष्ट्र

12061

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र

Scanned with CamScanner